

Electricity Consumer Grievance Redressal
Forum (Srinagar Garhwal)
2nd floor Nursery Road
Srinagar Garhwal – 246174

E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com



विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ईमेल: Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांक:-691 उ०शि०नि०मं०श्री० /

दिनांक 12/09/2025

वाद संख्या-170/2025

श्री शूरवीर सिंह
ग्राम-उच्छाउ, टकोली, कीर्तिनगर
टिहरी गढ़वाल।

वादी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
श्रीनगर गढ़वाल।

विपक्षी

श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

कोरम

वादी श्री शूरवीर सिंह, ग्राम-उच्छाउ, टकोली, कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल का शिकायती पत्र दिनांक 11.07.2025 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा अत्यधिक विद्युत बिल आने सम्बन्धी शिकायत की गई थी। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत दर्ज कराई गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढ़वाल द्वारा विपक्षी अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर को अपने पत्रांक सं० 646, दिनांक 11.07.2025 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढ़वाल द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो पुनः उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं० 660, दिनांक 04.08.2025 को एक स्मरण पत्र जारी किया गया।

विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल द्वारा पहले अनुस्मारक पत्र का जवाब नहीं दिया तो पुनः शिकायत निवारण मंच द्वारा पत्रांक सं०-675, दिनांक 26.08.2025 को दूसरा अनुस्मारक पत्र प्रेषित किया गया।

विपक्षी ने अपने कार्यालय पत्रांक सं०-2514, दिनांक 28.08.2025 के माध्यम से अवगत कराया है कि उपभोक्ता का बीजक उनके औसत खपत के अनुसार संशोधित कर दिया गया है।

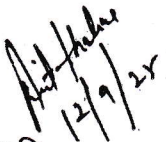
विश्लेषण

आज दिनांक 12.09.2025 को मीटिंग हुई, संलग्न पत्रावली का अध्ययन किया गया जिससे स्पष्ट है कि माह 06/2024 के अन्तिम बिल की रीडिंग 1950, माह 12/2024 के अन्तिम बिल की रीडिंग 1970, माह 02/2025 के अन्तिम बिल की रीडिंग 4806, माह 06/2025 के अन्तिम बिल की रीडिंग 5087 के निर्गत किये गये हैं। विपक्षी द्वारा दिनांक 01.07.2024 की प्रारम्भिक रीडिंग 1950 से दिनांक 06.08.2025 तक की अन्तिम रीडिंग 5230 के अनुसार बिल संशोधित कर दिये गये हैं। वादी द्वारा दिनांक 06.08.2025 तक रू० 13173.00 देय है। गलत धनराशि रू० 4537.00 को वादी के बिल से घटा दिया गया है।

आदेश

वादी का बिल नियमानुसार संशोधित कर दिया गया है। अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस-1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।


12/9/25

अमित ठाकुर
सदस्य (उपभोक्ता)


12/9/2025

रजनीश अग्रवाल
सदस्य (तकनीकी)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल।

02 श्री शूरवीर सिंह, ग्राम-उच्छाउ, टकोली, कीर्तिनगर, टिहरी गढवाल।


12/9/25

अमित ठाकुर
सदस्य (उपभोक्ता)

Electricity Consumer Grievance Redressal
Forum (Srinagar Garhwal)
2nd floor Nursery Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com



विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ईमेल: Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांक:-690 उ०शि०नि०मं०श्री० /

दिनांक 12/09/2025

वाद संख्या-174/2025

श्री विक्रम प्रसाद
श्रीकोट गंगानाली
श्रीनगर गढ़वाल।

वादी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
श्रीनगर गढ़वाल।

विपक्षी

श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

कोरम

वादी श्री विक्रम प्रसाद, श्रीकोट गंगानाली का शिकायती पत्र दिनांक 11.08.2025 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि मेरा विगम माह की भांति अगस्त माह का बिल अधिक आया हुआ है। मेरे द्वारा प्रत्येक माह का बिल समयानुसार जमा करवा दिया जाता है, वादी द्वारा अवगत कराया गया है कि मेरे बिल की जांच की जाये तथा उसे ठीक करने की कृपा करें। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत दर्ज कराई गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढ़वाल द्वारा विपक्षी अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर को अपने पत्रांक सं० 663, दिनांक 11.08.2025 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढ़वाल द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो पुनः उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 673, दिनांक 26.08.2025 को एक स्मरण पत्र जारी किया गया।

विपक्षी ने अपने कार्यालय पत्रांक सं0-3503, दिनांक 27.08.2025 के माध्यम से अवगत कराया है कि उक्त शिकायतकर्ता के आवास पर दिनांक 23.04.2025 को स्मार्ट मीटर लगाया गया और आज दिनांक 22.08.2025 (04 माह) तक मीटर पर 908 KWH रीडिंग खपत हुई और पुराने मीटर की माह मई और जुलाई माह की खपत 883 KWH है जो कि नये मीटर की खपत के लगभग बराबर है। इसके अनुसार नया मीटर सही स्थिति में कार्य कर रहा है।

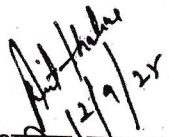
विश्लेषण

आज दिनांक 12.09.2025 को मीटिंग हुई, संलग्न पत्रावली का अध्ययन किया गया जिससे स्पष्ट है कि वादी द्वारा माह 07/2025 का बिल रू0 1953.00 का भुगतान नहीं किया गया है। जो कि अगस्त माह में जुड़ कर आया हुआ है।

आदेश

वादी को नियमानुसार बिल निर्गत किये गये हैं। अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस-1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।


12/9/25
अमित ठाकुर
सदस्य (उपभोक्ता)


12/9/2025
रजनीश अग्रवाल
सदस्य (तकनीकी)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढ़वाल।

02. श्री विक्रम प्रसाद, श्रीकोट गंगानाली।


12/9/25
अमित ठाकुर
सदस्य (उपभोक्ता)

Electricity Consumer Grievance Redressal
Forum (Srinagar Garhwal)
2nd floor Nursery Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com



विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ईमेल: Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांक:—692 उ०शि०नि०मं०श्री० /

दिनांक 12 / 09 / 2025

वाद संख्या—175 / 2025

कान्तिराम
जुगरान वेडिंग प्वाइंट
श्रीकोट गंगानाली

वादी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
श्रीनगर गढ़वाल।

विपक्षी

श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

कोरम

वादी श्री कान्तिराम, नियर जुगरान वेडिंग प्वाइंट, श्रीकोट गंगानाली का शिकायती पत्र दिनांक 18.08.2025 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि मेरा कनेक्शन सं०— एस०एन० 12209217689 है। जब से वादी के आवास पर स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया है, तब से वादी के ऊपर लगातार अधिक विद्युत बिल आ रहे हैं, जिस कारण वादी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वादी द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके बिलों को मई 2025 से अगस्त 2025 तक के बिलों को संशोधित करने की कृपा करें। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत दर्ज कराई गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढ़वाल द्वारा विपक्षी अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर को अपने पत्रांक सं० 669, दिनांक 18.08.2025 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी ने अपने कार्यालय पत्रांक सं०-3502, दिनांक 27.08.2025 के माध्यम से अवगत कराया है कि शिकायतकर्ता के आवास पर जब दिनांक 11.07.2025 को स्मार्ट मीटर लगाया गया तब पुराने मीटर पर 2079 KWH रीडिंग थी, तथा पुराने मीटर की अन्तिम बिलिंग 776 KWH रीडिंग तक हो रखी थी। शिकायतकर्ता को जब नये मीटर का बिल Generate हुआ तो पुराने मीटर की बकाया रीडिंग 1303 KWH और नये स्मार्ट मीटर की 299 KWH रीडिंग मिलाकर कुल 1602 KWH रीडिंग का बिल दिनांक-09.08.2025 को निर्गत किया गया, जो कि रीडिंग के आधार पर सही है।

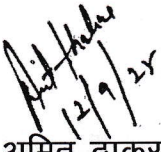
विश्लेषण

आज दिनांक 12.09.2025 को मीटिंग हुई संलग्न पत्रावली का अध्ययन किया गया जिससे स्पष्ट है कि वादी को रीडिंग के अनुसार बिल निर्गत किये गये हैं।

आदेश

वादी को नियमानुसार बिल निर्गत किये गये हैं। अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस-1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

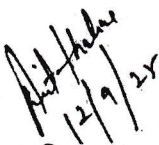

12/9/25
अमित ठाकुर
सदस्य (उपभोक्ता)


12/9/2025
रजनीश अग्रवाल
सदस्य (तकनीकी)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल।

02. श्री कान्तिराम, जुगरान वेडिंग प्वाइंट, श्रीकोट गंगानाली।


12/9/25
अमित ठाकुर
सदस्य (उपभोक्ता)

Electricity Consumer Grievance Redressal
Forum (Srinagar Garhwal)
2nd floor Nursery Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com



विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ईमेल: Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांक:- 711 उ0शि0नि0मं0श्री0 /

दिनांक 23/09/2025

वाद संख्या-173/2025

सुन्दर सिंह सजवाण
ग्राम-किराडा, तहसील-चाका
टिहरी गढ़वाल।

वादी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
श्रीनगर गढ़वाल।

विपक्षी

श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

कोरम

वादी श्री सुन्दर सिंह सजवाण, पुत्र स्व० फते सिंह सजवाण, ग्राम-किराडा, पट्टी-क्वीली, पो०ओ०-चाका, तहसील-गजा, जिला-टिहरी गढ़वाल का शिकायती पत्र दिनांक 04.08.2025 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि मेरे पिता का दिनांक 09.06.2006 को स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थी के पिता के नाम पर जारी विद्युत कनेक्शन सं०-एस०एन० 13305031922 प्रार्थी के पिता की मृत्यु के उपरान्त विच्छेदित किये जाने की याचना की गई जिसके उपरान्त प्रार्थी को कनेक्शन के बाबत कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। प्रार्थी वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान हेतु अपने गांव पहुंचा जहां प्रार्थी को विद्युत कनेक्शन लगाने की आवश्यकता है तो प्रार्थी को विपक्षी द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 23 मई 2021 से लम्बित विद्युत भुगतान रुपये 2540/- दिये जाने के उपरान्त ही प्रार्थी को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जायेगा जिस हेतु विपक्षी द्वारा प्रार्थी को प्रदान किया गया अभिलेख से इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

23/9/25

23/9/25

यह कि प्रार्थी अपने पिता का इकलौता पुत्र है तथा प्रार्थी के पिता के स्वर्गवास दिनांक 09.06.2006 के उपरान्त प्रार्थी अपनी आजीविका हेतु जनपद देहरादून गया तथा पिता की मृत्यु के उपरान्त प्रार्थी के द्वारा विद्युत का उपयोग अपने उपरोक्त पते पर नहीं किया गया तथा उपरोक्त सम्पत्ति पर कोई भी निवास नहीं करता रहा, उपरान्त भी उक्त विद्युत बिल दर्शाना कतई उचित नहीं है।

यह कि विपक्षी की चूक के कारण उपयुक्त कनेक्शन पर अवशेष राशि अंकित की गई है जिसका एकमात्र कारण विपक्षी है।

यह कि प्रार्थी निर्बल आय वर्ग का व्यक्ति है तथा प्रार्थी के उक्त प्रकरण पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उक्त वर्णित अवशेष राशि को समाप्त किये जाना न्यायहित में अति आवश्यक है।

अतः निवेदन है कि उपरोक्त कनेक्शन में वर्णित राशि समाप्त किये जाने हेतु विपक्षी को आदेशित करने की कृपा करें।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढ़वाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर को अपने पत्रांक सं० 661, दिनांक 04.08.2025 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढ़वाल द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो पुनः उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं० 674, दिनांक 26.08.2025 को एक स्मरण पत्र जारी किया गया।

विपक्षी ने अपने कार्यालय पत्रांक सं०-3546, दिनांक 30.08.2025 के माध्यम से अवगत कराया है कि सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी की पी०डी० रिपोर्ट एवं Ledger balance का संज्ञान लेते हुये उक्त उपभोक्ता का संयोजन समाप्त किया गया है, जो संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। वर्तमान में उपभोक्ता पर 1719.00 रु० विभाग को देय हैं।

मंच के कार्यालय पत्रांक 694, दिनांक 12.09.2025 के द्वारा उपरोक्त वाद में सुनवाई की तिथि 23.09.2025 निश्चित की गई।

[Signature]
23/9/25

[Signature]
23/9/25

विश्लेषण

आज दिनांक 23.09.2025 को मीटिंग हुई, जिसमें विपक्षी की ओर से कैशियर भारती देवी उपस्थित हुई एवं वादी स्वयं उपस्थित हुये। वादी द्वारा पूर्व में (2006) संयोजन विच्छेदित करने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया है, विपक्षी द्वारा वादी का संयोजन अस्थायी रूप से विच्छेदित किये जाने की तिथि 20.09.2017 दर्शाई गई है एवं उस तिथि को वादी पर रू0 923.00 शेष थे। बिल विवरण के अनुसार वादी द्वारा 260.00 रू0 दिनांक 22.09.2017 को जमा किये गये हैं जिसका कि विपक्षी द्वारा वादी का संयोजन PD करते समय समायोजन नहीं किया गया है।

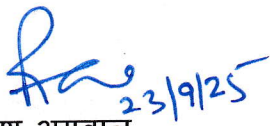
आदेश

विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वादी के अन्तिम निर्धारण में 260.00 रू0 का समायोजन करें। वादी से अनुरोध है कि वादी संशोधित अन्तिम निर्धारण का भुगतान करें जिनसे कि उनको नया संयोजन दिया जा सके। अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस-1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

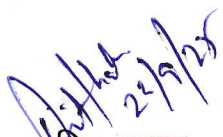

अमित ठाकुर
सदस्य (उपभोक्ता)


रजनीश अग्रवाल
सदस्य (तकनीकी)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढ़वाल।

02. सुन्दर सिंह सजवाण, ग्राम-किराडा, तहसील-चाका, टिहरी गढ़वाल।


अमित ठाकुर
सदस्य (उपभोक्ता)